भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3833

(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आहरण प्लेटफॉर्म में धन जमा करना

3833. श्री इटेला राजेंदरः

श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आहरण प्लेटफार्म को पुनः भरना की वसूली के तौर-तरीकों के अनुसार तेलंगाना सरकार के 117.91 करोड़ रुपये मंत्रालय के पास लंबित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तेलंगाना सरकार ने मंत्रालय को पहले ही सूचित कर दिया है कि एसएनए खाते से सीएफआई को राशि भेजने के मामले में निकासी प्लेटफार्म से वसूली के लिए वसूली राशि का स्पष्टीकरण/आदेश दिया जाए, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकर ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि एसएनए से केवल त्वरित निपटान के माध्यम से और एसएनए से होल्डिंग खाते में केवल पीपीए के माध्यम से ब्याज अंतरण के अलावा डीडी अथवा निधि अंतरण के माध्यम से धन का अंतरण नहीं किया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तेलंगाना राज्य में प्रेषण/उपयोग के लिए निकासी प्लेटफार्म के संबंध में 117.91 करोड़ रुपए की वसूली राशि के संबंध में स्पष्टीकरण/आदेश देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): तेलंगाना राज्य सरकार ने पहले ही भारतकोश के माध्यम से भारत की संचित निधि में केंद्रीय अंश के रूप में फसल सुखाने हेतु चबुतरे की वसूली के एवज में 117.91 करोड़ रुपये की राशि वापस की है।